

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क. एफ 27 (74) ग्रावि/अनु-5/जीकेएन/न्यूनतम मजदूरी दर/ई. ओ. 65598/2014-15 जयपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

25-11-2017

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद, बाडमेर।

विषय:- ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 के बिन्दु संख्या 8.3 की पालना बाबत।
प्रसंग:- माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बायतु का पत्र दिनांक 26.09.2017

महोदय,


विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यों के सुचारु एवं बेहतर निष्पादन हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 प्रभावी है, जिसके बिन्दु संख्या 8 में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला दर निर्धारण समिति के कर्तव्य वर्णित है। ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 के बिन्दु संख्या 8.3 पर जिला दर निर्धारण समिति के उत्तरदायित्व वर्णित है।

अतः प्रासांगिक पत्र की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 05.09.2017 के निर्णय के क्रम में ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 के बिन्दु संख्या 8.3 पर जिला दर निर्धारण समिति के निर्धारित उत्तरदायित्व/वर्णित प्रावधानुसार जिला दर निर्धारण समिति स्तर से समीक्षा कराकर नियमानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(के.के.शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाडमेर राजस्थान।
7. अधिशाषी अभियन्ता, (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद बाडमेर।


अधीक्षण अभियन्ता ग्रावि (10/12)